# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–62/2014 एवं 63/2014..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स रामेश्वरम् बिल्डमार्ट प्रा0 लि0 अजमेर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/03/2014 | <u>एकलपीठ</u><br><u>श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य</u><br><br>अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.01.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक क्रमशः 2.12.2013 व 11.12.2013 से सृजित मांग की वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करते हुए शास्ति राशि का स्थगन स्वीकार किया है। शेष राशि वसूली बाबत निर्देश जारी किये हैं।<br><br>प्रस्तुत अपीलों में क्रमशः रूपये 39,276/– व रूपये 1,52,246/– का स्थगन चाहा गया है।<br><br>अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी तथा विभागीय पैरोकार विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।<br><br>विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने आंशिक स्थगन स्वीकार किये जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया है, जबकि प्रकरण में पूर्णतया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के समय पाये गये स्टॉक को मूल्यांकन के आधार पर लेखा–पुस्तकों में घोषित से कम बताया है। अपीलार्थी को माह के अन्त में विक्रेताओं द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये जाते हैं, जिससे क्रय मूल्य उस सीमा तक कम हो जाता है। इसलिए क्रेडिट नोट के समायोजन के पश्चात अन्तर नगण्य रहता है। अपील संख्या 63/2014 में क्रेडिट नोट की राशि मय 2 प्रतिशत सी.एस. टी. रूपये 6,81,822/– से क्रय मूल्य कम करने पर स्टॉक मूल्य में अन्तर रूपये 10,98,474 – 6,81,822 = रूपये 4,17,452/– रहता है।<br><br>अन्त में यह भी कथन किया कि सर्वेक्षण कार्यवाही व्यवहारी के बिजनेस मैनेजर की अनुपस्थिति में की गई थी, जो कि विधि विपरीत होने से पूर्ण आदेश ही अपास्तनीय हो जाता है।<br><br>इन आधारों पर पूर्ण स्थगन स्वीकार किये जाने पर बल दिया।<br><br>लगातार.....2 | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–62/2014 एवं 63/2014..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स रामेश्वरम् बिल्डमार्ट प्रा0 लि0 अजमेर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 2 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/03/2014 | प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के समय पाये गये माल का भौतिक सत्यापन करने पर माल भौतिक रूप से लेखा–पुस्तकों में घोषित से कम पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की गई है। अपीलार्थी द्वारा क्रेडिट नोट के आधार पर क्रय मूल्य कम करने का तर्क विधिसम्मत नहीं है। अपील संख्या 62/2014 में अपीलार्थी ने कम्प्यूटर में बताई गई बिक्री से भी कम राशि के बिल संख्या 34 व 35 दिनांक 27.7.2009 व बिल संख्या 38 दिनांक 30.7.2009 में कुल रूपये 2,00,388/– का वैट इन्वॉयस जारी कर करापवंचन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होते हुए भी अपीलीय अधिकारी ने पर्याप्त राहत प्रदान कर दी है। इसलिए स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।<br><br>उभयपक्ष की बहस सुनने, अपील आधारों, लिखित बहस व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर स्पष्ट होता है कि अपील संख्या 62/2014 में बिल संख्या 34, 35 व 38 में कम्प्यूटर में घोषित विक्रय से भी कम राशि के वैट इन्वॉयस जारी किये गये हैं, जो कि स्पष्ट रूप से करापवंचन प्रतीत होता है। इस अपील में सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने के कारण स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।<br><br>अपील संख्या 63/2014 के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कथित क्रेडिट नोट को विचारित करने के उपरान्त भी स्टॉक रूपये 4,17,452/– का कम पाया गया है। इसलिए अपील में आंशिक तौर पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में पाया जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थगन के अलावा **रूपये 80,000/–** का स्थगन इस शर्त पर रोक स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के चार माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।<br><br>निर्णय सुनाया गया।<br><br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर | |